# न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 37 / 2021

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2021 / 120

| प्रार्थीगण | अप्रार्थीगण |
|---|---|
| श्रीमति सुवटी बैवा हापुराम वगैरह | चिंकारा संस्थान कोटड़ा जरिये अध्यक्ष रघुनाथाराम पुत्र हरिराम, जाति–बिश्नोई वगैरह |

**<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>**.

**<u>तारीख रजु :– 21.10.2021</u>**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार बिश्नोई उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 3 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 10.09.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा सांकड़ तहसील सांचौर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त हिन्दू परिवार सहदायिक, पुश्तैनी हकहकूक व संयुक्त खातेदारी एवं संयुक्त कब्जा काश्त आराजी साबिक खसरा नंबर 212 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा स्थित है जिसके द्वितीय भू प्रबन्ध के नवीन खसरा नंबर 919 रकबा 1.32 हैक्टेयर तजवीज हुए है। नकल जमाबंदी वर्तमान, मिलान क्षैत्रफल संलग्न वाद प्रस्तुत है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ताखान दान मुस्मात हापू उर्फ हक्काजी बिश्नोई की मृत्यु के पश्चात पुश्तैनी पारिवारिक संपति के रूप में जरिये म्यूटेशन संख्या 97 / 67 दिनांक 28.01.1967 को प्रार्थीया संख्या 1 एवं अप्रार्थी संख्या 2 को उतराधिकारी हक में प्राप्त होकर दीगर प्रार्थीगण का इसमें बर्थ राईट्स के रूप में विधिक हकहकूक, नोशनल शेयर विधमान है तब से प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ प्रार्थीगण इसका निरन्तर राजस्थान राज्य श[illegible] निरन्तर आदिनांक लगान अदा करते चला आ रहे है तथा म्युटेशन संख्या 9[illegible]67 [illegible] हक में प्रार्थीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार को अर्जित [illegible] आज दिन तक प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त मु[illegible]क प्रार्थीगण के नाम से निरन्तर गिरदावरी भी इन्द्राज होती रही है। ऐसी अवस्था में जब तक उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी हकहकूक व संयुक्त कब्जा काश्त का हिस्सा जब तक विधि विहित प्रक्रिया से विभाजन होकर प्रार्थीगण का हिस्सा पृथक नहीं कर लिया जाता तब तक प्रत्यर्थी संख्या 2 को उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी अजनबी को बिना किसी पारिवारिक

सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रत्यर्थी संख्या 2 को उक्त वादग्रस्त आराजी के किसी अजनबी को बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के विक्रय या अन्य हस्तांतरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है परन्तु पांच सात रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अनुदान प्रयोजनार्थ वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि वर्तमान खसरा नंबर 919 रकबा 1.32 हैक्टेयर में से रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि विवादित विक्रय पत्र मवर्खा तारिख 07.11.2016 के जरिये उक्त विक्रय पत्र में उल्लेखित पड़ौस बिच के विशिष्ठ हिस्से का विधि विरूद्व बैचान अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करने की आश्यर्चजनक जानकारी प्राप्त हुई। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का यह प्रार्थना–पत्र बाद सुनवाई स्वीकार फरमाकर बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वे मौजा सांकड़ में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 919 रकबा 1.32 हैक्टेयर की वादग्रस्त आराजी रकबा 0. 80 हैक्टेयर जो 919 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज की गई है कि राजस्व रेकर्ड एवं मौका की वाद प्रस्तुतीकरण की दिनांक की यथास्थिति कायम रखें तथा आगे किसी को बैचान या हस्तांतरण नहीं करें तथा न प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में कोई बाधा या दखलंदाजी स्वयं उत्पन्न करें तथा न किसी से करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, बलहीन होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, बलहीन होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **10.09.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर